आलोक शर्मा,
आई0पी0एस0

अ.शा. पत्रांकः एमजैड-सीआर-21 (निर्देश-2)/14
पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
दिनांकःमेरठः फरवरी 20, 2014
Mail id-igzonemrt-up@nic.in
Ph. No. 0121-2763364, 2763247

प्रिय महोदय,

प्रायः देखने में आ रहा है कि जोन के जनपदो में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 व 58 पर गम्भीर अपराध जैसे कार/ट्रक लूट में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके उपरान्त भी स्थानीय पुलिस के द्वारा न तो इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्व से कोई योजना है तथा न ही घटनाओं के पश्चात ही उसके अनावरण की दिशा में कोई सार्थक प्रयास ही किये जा रहे है। इस प्रकार की घटनाओं को इलैक्ट्रानिक/प्रिन्ट मिडिया के द्वारा प्रकाशित/प्रचारित किये जाने के कारण जनसामान्य में पुलिस के छवि घूमिल होती है, वही दूसरी ओर संलिप्त अपराधी स्वच्छन्द रूप से विचरण कर अन्य घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लग जाते है।

2- अतः मै चाहूंगा कि आप अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गो पर कुछ ऐसे स्थान जहाँ 24 घण्टे चैकिंग हो तथा कुछ ऐसे क्रिटिकल स्थान जहाँ वाहन छीनने की घटनाऐ होती है को चिन्हित कर नियमित रूप से प्रभावी चैकिंग की जाय, इसमें पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष का दायित्व निर्धारित किया जाय। साथ ही जनपदो में पडने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो पर संचालित हाईवे-पेट्रोल/कार एवं मोबाईल के संचालन चार्ट का रिवयू कर पुनः तैयार कराये और यह भी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर पुलिस की सक्रियता/गतिशीलता बनी रहें।

3- यह भी आवश्यक होगा कि आप अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थापित पुलिस चैक पोस्टो पर पुलिस संसाधनो की मौजूदगी/गतिशीलता बनाये रखे ताकि आकस्मिक रूप से किसी भी अपराधिक घटना घटित होने पर अपराधो के अनावरण एवं अपराधियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकें और बढते हुए अपराधो पर अंकुश लगाया जा सकें।

(आलोक शर्मा)

1. **श्री ओंकार सिंह,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
2. **श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3. **डॉ0 प्रितिन्दर सिंह,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4. **श्री हरिनारायण सिंह,** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
5. **श्री महेन्द्र पाल सिंह,** पुलिस अधीक्षक, हापुड़।

प्रतिलिपिः-पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।